भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 68] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 2, 1972/फाल्गुन 12, 1893

No. 68] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 2, 1972/PHALGUNA 12, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

JUL 1972

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 2nd March 1972

G.S.R. 93(E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), and clause 6 of the Sugar Control Order, 1966, the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugar (Restrictions on Movement) Order, 1972, namely:—

1. (1) This Order may be called the Suger (Restrictions on Movement) Second Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force at once.

2. In clause 2 of the Sugar (Restrictions on Movement) Order, 1972, the words "produced by vacuum pan process" shall be omitted.

[No. 1-1/72-S.Py.]

S. V. SAMPATH, Joint Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1972

सा० का० नि० 93 (अ) आ० ज० शर्करा.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 तथा शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा शर्करा (संचलन पर निर्बन्धन) आदेश, 1972 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) यह आदेश शर्करा (संचलन पर निर्बन्धन) द्वितीय संशोधन आदेश, 1972 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. शर्करा (संचलन पर नियंत्रण) आदेश, 1972 के खंड 2 में "निर्यात कढ़ाई प्रक्रिया द्वारा उत्पादित" शब्द लुप्त हो जायेंगे।

[सं० 1-1/72-एस०पी० वाई०]

एस० वी० सम्पथ, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972